

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, अटलनगर, जिला रायपुर-492 002

// आदेश //

अटलनगर, दिनांक 18 जनवरी, 2019


क्रमांक एफ 1-2/2019/ XII :::: सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-5/2007/1-8(पार्ट), दिनांक 18.01.2019 द्वारा श्री संजय कनकने, अवर सचिव {मूल पद संयुक्त संचालक (भौमिकी)}, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, अटलनगर, जिला रायपुर की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए उनकी सेवाएँ खनिज साधन विभाग को वापस सौंपी गई है तथा श्री दिनेश मिश्रा, उप संचालक (खनिज प्रशासन) जिला कार्यालय कोरबा की सेवाएँ खनिज साधन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उन्हें अवर सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है।

2/ अतएव राज्य शासन, एतद्वारा, -

- (1) श्री संजय कनकने को संयुक्त संचालक (भौमिकी) के पद पर संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है तथा क्षेत्रीय प्रमुख का दायित्व सौंपता है।
- (2) श्री कैलाश डोंगरे, संयुक्त संचालक (भौमिकी), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर को स्थानान्तरित करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, अटलनगर, जिला रायपुर में पदस्थ करता है।

3/ उपरोक्त स्थानान्तरण/पदस्थापना आदेश समन्वय में अनुमोदित है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(इफ्फत आरा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग


अटलनगर, दिनांक 18 जनवरी, 2019

पृ०क्रमांक एफ 1-2/2019/XII
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मंत्रालय, अटलनगर, जिला रायपुर,

// 2 //

2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, अटलनगर, जिला रायपुर,
 3. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, अटलनगर, रायपुर,
 4. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 5. संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, अटलनगर, जिला रायपुर,
 6. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/ बिलासपुर/ जगदलपुर, छत्तीसगढ़,
 7. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, अटलनगर, जिला रायपुर,
 8. आयुक्त
 9. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
 10. कोषालय अधिकारी जिला रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
 11. संबंधित अधिकारी
 12. आदेश फोल्डर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग